उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-42/2017/405/92-2-2017-87आरई/2007

लखनऊ :: दिनांक:: 10 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राम प्रकाश गौड. तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में समय से आरोप पत्र न उपलब्ध कराने और जान बूझकर दूषित कार्यप्रणाली अपनाते हुये अपचारी अधिकारी को लाभ पहुंचाने तथा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण के निस्तारण में लापरवाही बरतने, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, मनमाने ढंग से कार्य करने एवं पद के अनुरूप दायित्वों के निर्वहन न करने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली-1956 के प्रस्तर-3 क का अनुपालन न करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर पर श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-1) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल-सहारनपुर को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(पूर्वी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 42/2017/ 405(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-901/ग्रा0अ0वि0/व्य0प0/16-17 दिनांक 18.10.2016 के संदर्भ में।

2- जॉच अधिकारी/ मुख्य अभियंता(पूर्वी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-1) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in